FAX/E-mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
प्रेस विज्ञप्ति

बिहार भूमि न्यायाधिकरण, राजस्व पर्षद, चकबन्दी निदेशालय एवं माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के न्यायालय में भू–राजस्व से संबंधित मामलों के अपील वाद दायर होते हैं। इन न्यायालय में सरकार का पक्ष रखने हेतु विशेष सरकारी अधिवक्ताओं एवं सहायक सरकारी अधिवक्ताओं के पैनल के गठन हेतु बायोडाटा आमंत्रित किये जाते है।

बिहार भूमि न्यायाधिकरण के लिए विशेष सरकारी अधिवक्ताओं एवं सहायक सरकारी अधिवक्ताओं के लिए न्यूनतम 10 वर्ष एवं राजस्व पर्षद, चकबंदी निदेशालय माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के न्यायालय के लिए विशेष सरकारी अधिवक्ता एवं सहायक सरकारी अधिवक्ताओं के लिए क्रमशः न्यूनतम 10 वर्ष एवं 7 वर्ष का अनुभव अनिवार्य होगा।

उक्त सभी न्यायालयों के लिए अलग–अलग 3–4 अधिवक्ताओं को चयन किया जायगा। तात्पर्य यह है कि किसी अधिवक्ता का जिस न्यायालय के लिए चयन होगा वे उसी न्यायालय में कार्य करेंगे।

बिहार भूमि न्यायाधिकरण के लिए पटना उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता आवेदन समर्पित करने के पात्र होगें। भू–हदबंदी, बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, चकबंदी अधिनियम, भूदान यज्ञ अधिनियम एवं अन्य भू–राजस्व संबंधित अधिनियमों एवं विषय से संबंधित मुकदमों के अनुभवी अधिवक्तओं को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी। प्राथमिकता के लिए अधिवक्ता, उन राजस्व मामले से संबंधित वादों जिनमें वे सरकार के पक्ष या विपक्ष में पैरवी किये है, की सूची, वाद संख्या, वादी–प्रतिवादी का नाम, न्यायालय का नाम एवं न्याय निर्णय की विवरणी संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

सूचित किया जाता है कि विशेष सरकारी अधिवक्ता/सरकारी अधिवक्ता के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक अधिवक्ता राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के बेव–साईट www.lrc.bih.nic.in पर उपलब्ध विहित प्रपत्र में आवेदन विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से एक माह के अन्दर ऑन–लाईन समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

26/4/18
(विनोद कुमार झा),
संयुक्त निदेशक, कृषि गणना।